न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या–1, उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मनीष कुमार वैष्णव(UID No. RJ00557)
आर जे एस (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सी आई एस प्रकरण संख्या–1579/2014 ई0दी0

1.रहमत खॉ पिता महरूम अकबर खॉ निवासी 17 धोली बाबडी उदयपुर हाल 230, उत्तर खांजीपीर उदयपुर (मृतक)

2. मोहम्मद सलीम पिता स्व. रहमत खॉ

3. शरीफ मोहम्मद पिता स्व. रहमत खॉ

4. मोहम्मद सिद्दीक पिता स्व. रहमत खॉ सभी निवासी 17 धोली बाबडी उदयपुर हाल 230, उत्तर खांजीपीर उदयपुर

वादीगण

बनाम

1. मुजफ्फर खॉ पिता महरूम असगर खॉ निवासी 17 धोली बाबडी उदयपुर मृतक के बजाए
   1/1 रईश खान पिता स्व. मुजफ्फर खॉ
   1/2 श्रीमती शाहिदा बेगम पत्नी स्व. मुजफ्फर खॉ
   1/3 श्रीमती मलका पत्नी शाकिर खान पुत्री स्व. मुजफ्फर खॉ
   1/4 श्रीमती परवीन पुत्री स्व. मुजफ्फर खॉ सभी निवासी 17 धोली बाबडी उदयपुर
2. मुस्तफा खान उर्फ मुन्ना पिता महरूम असगर खान
3. सईद खान उर्फ छोटा पिता महरूम असगर खान
4. उस्मान खान उर्फ बाबू पिता महरूम असगर खान ,
5. फिरोज खान उर्फ पप्पू पिता महरूम असगर खान
6. इफ्तेखान खान उर्फ बना पिता महरूम असगर खान
7. नजर खान पिता महरूम असगर खान सभी निवासी 17 धोली बाबडी उदयपुर
8. नगर परिषद, उदयपुर जरिए आयुक्त नगर परिषद (वर्तमान में नगर निगम उदयपुर)

प्रतिवादीगण

<u>वाद विभाजन अचल सम्पत्ति एवं शाश्वत व्यादेश</u>

उपस्थित–

1. श्री राजीव पामेचा व श्री सुखदेव बारबर–अधिवक्ता–वादीगण.
2. श्री सत्यनारायण गुप्ता –अधिवक्ता–प्रतिवादीगण.क्रम संख्या –1 लगायत 7 की ओर से
3. श्री जगदीश कुमार – अधिवक्ता –प्रतिवादी संख्या –,8 की ओर से

– निर्णय – **दिनांक–28.03.2026**

1. यह वाद पत्र माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, उदयपुर के समक्ष दिनांक

ANIL KUMAR GOYAL
Steno Gr. I "Authenticated Document" Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document." Date: 2026.03.30 12:29:39 +0530

01.06.2010 को प्रस्तुत किया जो विधिवत् रूप से सुनवाई हेतु माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के आदेश क्रमांक 256 दिनांक 20.08.2011 से इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

2. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दोनों पक्षकारों का सजरा वाद पत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित है। जो सजरे के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विधिक उत्तराधिकारी है। उदयपुर शहर के धोली बावडी क्षेत्र में अकबर खॉ की एक अचल सम्पत्ति पुराना मकान स्थित है जिसके प्लाट नम्बर–17 है। अकबर खॉ की मृत्यु के समय उनके उत्तराधिकारियों के रूप में दोनो पुत्र वादी रहमत खॉ व महरूम असगर खॉ जीवित थे, उनकी जायदाद में दोनों बराबर हिस्सेदार थे। दोनों में नाप व सीमांकन द्वारा कोई विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण ने खुली भूमि पर 24.5.2010 को नीवें खुदवाना शुरू कर दिया। जिसकी पुलिस में शिकायत करने पर वादीगण को निर्माण नहीं करने के लिए पाबन्द किया। किसी भी पक्षकार को एकल आधिपत्य कर किसी भी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने विवादित स्थल पर निर्माण के लिए नगर परिषद उदयपुर से कोई अनुमति नहीं ली है, वादी ने वाद कारण उत्पन्न होना व उचित न्यायशुल्क पर वाद पेश करना बताते हुए निम्न अनुतोष चाहा है कि वादग्रस्त सम्पत्ति जो वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से चिन्हित की है जो वादीगण के आधिपत्य में है जिसे वादीगण को दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि विवादित सम्पत्ति के विधिवत नाप एवं सीमांकन के विभाजन तक प्रतिवादीगण इसके किसी भी भाग से वादीगण को बेदखल नहीं करें, उनके शांतिपूर्ण व वैध आधिपत्य में हस्तक्षेप नहीं करें तथा संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करें, उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करें एवं सम्पत्ति के किसी भाग को हस्तांतरित नहीं करें एवं प्रतिवादी संख्या–8 नगर परिषद उदयपुर को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह अन्य प्रतिवादीगण को विवादित स्थल पर अवैध निर्माण करने से रोके और यदि प्रतिवादीगण ने कोई निर्माण कर दिया है तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जावे।

3. प्रतिवादीगण संख्या–1 से 7 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में मृतक अकबर खॉ के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी जफ्फर खॉ एवं अजगर खॉ, श्रीमती शाहिदा एवं श्रीमती रूबीना को बताया। अकबर खॉ के चार संतानें होना बताया। वादीगण का वादग्रस्त सम्पत्ति का कोई कब्जा नहीं है। भूखण्ड संख्या–17 प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य में है। वादी ने यह वाद पत्र स्वर्गीय अकबर खॉ के समस्त उत्तराधिकारी को पक्षकार नहीं बनाकर पेश किया जो निरस्त योग्य है। वादग्रस्त जायदाद विपक्षीगण के पिता अजगर अली की पूर्ण स्वामित्व की है। अतः वादी का वाद सव्यय खारिज किया जावे।

4. उभय पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गये:–

1. क्या वाद वर्णित सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 17 धोली बावडी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के

ANIL KUMAR GOYAL
Steno Gr. I "Authenticated Document" Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document." Date: 2026.03.30 12:29:48 +0530

संयुक्त आधिपत्य की सम्पत्ति है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संलग्न नक्शानुसार आधे आधे पर सुविधानुसार काबिज है जिसका पांती बटवाडा करवा वादी 1/2 हिस्से को घोषणात्मक डिक्री तथा पृथक एवं स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है?

वादीगण

2.. क्या प्रतिवादीगण बटवाडा किए जाने तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किए जाने आवश्यक है?

वादीगण

2 ए. आया वादी का वाद अपूर्ण न्यायशुल्क पर होने के कारण पोषणीय नहीं है?

प्रतिवादीगण

2 बी. आया वाद में स्व. अकबर खॉ के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाए बिना दावा पोषणीय नहीं है?

प्रतिवादीगण

3. अनुतोष

5. वादी की ओर से गवाह पी डब्ल्यू 1 मोहम्मद सलीम, पी डब्ल्यू 2 शरीफ मोहम्मद, पी डब्ल्यू 3 मोहम्मद सिद्धिक के शपथ पत्र पर परीक्षित हुए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में रहमत खान का हज यात्री पास प्रदर्श–1, रहमत खान की एसबीबीजे शाखा सूरजपोल की पासबुक प्रदर्श–2, उस्मान खान प्रतिवादी के पुत्र जावेद खान की शादी का कार्ड प्रदर्श–3, लिफाफा प्रदर्श–4, वादग्रस्त सम्पत्ति का फातमा बाई के पक्ष में किया गया रहननामा दिनांक 14.03.77 प्रदर्श–5, रहमत खान द्वारा रहीम बक्ष के पक्ष में किया गया रहननामा दिनांक 22.01.76 प्रदर्श–6, रहमत खान द्वारा अजीज भाई के पक्ष में निष्पादित इकरार दिनांक 16.06.81 प्रदर्श–7, रहमत खान द्वारा केसुलाल के पक्ष में निष्पादित रहननामा दिनांक 19.11.1984 प्रदर्श –8, केसुलाल के पुत्र रमेशचन्द्र द्वारा लगाए गए शटर का बिल दिनांक 15.05.1985 प्रदर्श–9, मोहम्मद सलीम द्वारा रामचन्द्र केपक्ष में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 19.10.1993 प्रदर्श–10, मोहम्मद सलीम द्वारा आनन्दराम सिंधी के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 08.11.1993 प्रदर्श –11, मोहम्मद सलीम द्वारा मंसूर अली के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 21.07.1994 प्रदर्श –12, मोहम्मद सलीम द्वारा राकेश कोठारी के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 25.02.1995 प्रदर्श –13, नगर परिषद द्वारा उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति पर मोहम्मद सलीम के नाम जारी रसीद प्रदर्श–14, रहमत खान का वोटर पहचान पत्र प्रदर्श –15, रहमत खान का परिवार राशनकार्ड सन् 2001 प्रदर्श –15, उदयपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

ANIL KUMAR GOYAL
Steno Gr. I "Authenticated Document" Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document." Date: 2026.03.30 12:29:54 +0530

की नामावली 1966 की वोटरलिस्ट प्रदर्श–16, उदयपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1980 की वोटरलिस्ट प्रदर्श–17, रहमत खान द्वारा उस्मान के खिलाफ अवैध रूप से वादग्रस्त जमीन पर कब्जा करने की नीयत से दर्ज करायी गयी एफ आई आर दिनांक 26.05.2010 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–18, दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शा प्रदर्श–19, रहमत खॉ द्वारा नगर निगम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श –20, नगर परिषद का रहमत खॉ के पक्ष में अनुमति पत्र प्रदर्श–21, नगर परिषद में निकासु रचना शुल्क जमा कराने की रसीद प्रदर्श–22, नगर निगम की कार्यालय टिप्पणी प्रदर्श–23, रहमत खॉ द्वारा नगर परिषद में सूचना प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रदर्श –24, सूचना प्रदर्श–25, नगर परिषद का अनुमति पत्र प्रदर्श –26, नगर परिषद की कार्यवाही के दस्तावेज प्रदर्श–27 से प्रदर्श–34, फोटो प्रदर्श–35 से प्रदर्श–43, सी डी प्रदर्श–44 को साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

6. प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादी डी.ड. 1 उस्मान खान उर्फ बाबू, डी.ड.2 सईद खॉ शपथ पत्र पर परीक्षित हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मुजफ्फर खॉ का राशनकार्ड प्रदर्श ए –1, को प्रदर्शित करवाया गया।

7. बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि वादी व प्रतिवादीगण सुन्नी विधि से शासित होते है। वादी रहमत खॉ अकबर खॉ जी का पुत्र था, इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर रहमत खॉ अकबर खॉ का पुत्र था यह साबित किया है। रहमत खॉ जी ने सम्पत्ति अन्य को रहन रखी उसके पंजीकृत दस्तावेज भी प्रस्तुत किए है। प्रदर्श–10 से प्रदर्श –12 पर डी डब्ल्यू 1 उस्मान खॉ के हस्ताक्षर है, टैक्स पी डब्ल्यू 2 शरीफ मोहम्मद द्वारा जमा करवाया गया है जिसकी रसीद प्रदर्श–14 है। मौके पर वादीगण का कब्जा है जिसमें नीवें खोदने पर उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थीअतः वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

8. इसके विपरीत प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने जवाब के साथ सजरा पेश किया है जिसमें अकबर खॉ के अन्य उत्तराधिकारी भी होना बताया है जिसका कोई जवाब उल जवाब वादी ने पेश नहीं किया है। अन्य उत्तराधिकारी का भी वाद वर्णित सम्पत्ति में सहस्वामित्व है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। रहमत खॉ जी का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। रहमत खॉ जी को पुत्र मानने पर भी उनका 1/2 हिस्सा नहीं होता है। कोर्ट फीस पूरी प्रस्तुत नहीं की गयी है। वाद वर्णित सम्पत्ति अकबर खॉ द्वारा 17.12.1946 को क्रय की थी। अकबर खॉ जी के दो लडकियां शाहजहॉ व फातिमा बेगम भी थी, उनके पुत्र पुत्रियां भी है। प्रदर्श ए–1 ए में वादी रहमत खॉ का नाम अंकित नहीं है। वादी ने अकबर खॉ के वास्तविक सजरे व उत्तराधिकारियों का नाम वाद पत्र में अंकित नहीं किया है। वाद वर्णित सम्पत्ति का पूर्व में ही विभाजन हो चुका है। आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है। वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे अनुसार वाद वर्णित सम्पत्ति का पूर्व में ही बंटवाडा हो चुका है इसलिए वादी का वाद खारिज किया जावे।

ANIL KUMAR GOYAL
Steno Gr. I "Authenticated Document" Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document." Date: 2026.03.30 12:30:03 +0530

9. वक्त शहादत डी डब्ल्यू 2 सईद खॉ के बयानों के समय अधिवक्ता वादी द्वारा प्रदर्शित करवाए जाने फोटो व सीडी पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति की गयी थी जो सुरक्षित रखी गयी थी। जिसके संबंध में दौराने बहस तर्को के संबंध में देखे तो प्रतिवादी द्वारा इससे रिकार्ड का पार्ट नहीं होना बताते हुए उस पर दिनांक अंकित नहीं होने से उसे विश्वसनीय नहीं होना बताया था। पत्रावली के अवलोकन से वादी द्वारा उक्त फोटो व सीडी प्रतिवादी के विवाह से संबंधित होने के आधार पर प्रदर्शित करवायी है जिसकी सीडी भी साथ में प्रस्तुत की है। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान प्रतिवादी के विवाह की पत्रिका प्रदर्श -3 व प्रदर्श -4 भी प्रदर्शित करवायी है। अतः वक्त शहादत प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति खारिज की जाती है

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यकों पर क्रमवार मेरा विनिश्चय निम्न प्रकार से है।

तनकी संख्या-2 बी

11. इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है कि क्या वादी ने वाद में स्व. अकबर खॉ के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया इसलिए दावा पोषणीय नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे में अंकित किया कि अकबर खॉ जी के दो पुत्र व दो पुत्रियां तथा वादी रहमत खान अकबर खॉ का पुत्र नहीं था। जवाब में अंकित उपर्युक्त तथ्यों के संबंध में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत गवाह डी डब्ल्यू 1 उस्मान खान अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में जवाब दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अकबर खॉ जी के दो लडकियां शाहजहॉ बेगम एवं फातिमा तथा दो लडके असगर खॉ एवं मोहम्मद खॉ थे। इसके अलावा अन्य कोई संतान नहीं थी। फातिमा का देहांत हो गया है, जिसके पीछे मुन्ना खॉ , नजीर खॉ, नियाज खॉ, सगीर खॉ एवं पुत्रियां श्रीमती रजिया, श्रीमती नजमा, खुशनुमा व श्रीमती मेम शेष है। अकबर खॉ के पुत्र अजगर खॉ का देहांत हो गया है जिसके पीछे उनके उत्तराधिकारियों में मुजफ्जर खॉ, मुश्तफा खॉ उर्फ मुन्ना, सईद खॉ उर्फ छोटा, उस्मान खॉ उर्फ बाबू, फिरोज खॉ उर्फ पप्पू, इसरार खॉ उर्फ छोटा, नजर खॉ एवं श्रीमती कमरून्निसा शेष है। अकबर खॉ जिसके पुत्र मोहम्मद खॉ का भी देहावसान हो गया है जिसके उत्तराधिकारी जफर खॉ, अजर खॉ, श्रीमती शाहिदा एवं श्रीमती रूबीना है। गवाह की उपर्युक्त साक्ष्य के समान ही डी डब्ल्यू 2 शहीद खॉ ने भी उपर्युक्त तथ्य मुख्य परीक्षा में बताए है।

12. डी डब्ल्यू 1 उस्मान खान उर्फ बाबू व डी डब्ल्यू 2 सईद खॉ की उपर्युक्त साक्ष्य के संबंध में यदि हम पी डब्ल्यू 1 मोहम्मद सलीम की साक्ष्य को देखे तो इस गवाह से प्रतिपरीक्षा में पूछे जाने पर इसने अकबर खॉ के एक पुत्र अजगर खान व दो पुत्रियां शहनाज व फातिमा का होना स्वीकार किया है। फातिमा की मृत्यु होना और उसके चार पुत्र व चार पुत्रियां होने का तथ्य स्वीकार किया है।

ANIL KUMAR GOYAL
Steno Gr. I "Authenticated Document" Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.03.30 12:30:09 +0530

अकबर खान की पुत्री शाहजहॉ की मृत्यु होने से उसके 6 पुत्र व चार पुत्रियां होना स्वीकार किया है। वादी के गवाह पी डब्ल्यू 2 शरीफ मोहम्द से प्रतिपरीक्षा किए जाने पर उसने अकबर खान की संतान मोहम्मद खान, असगर खान, शांहजहॉ बेगम व फातिमा होना स्वीकार किया है। इसी प्रकार मोहम्मद खॉ, शांहजहॉ, असगर खान व फातिमा के पुत्र पुत्रियों का नाम भी बताया है। गवाह पी डब्ल्यू 3 मोहम्मद सिद्धिक से जिरह करने पर भी उसने अकबर खान जिसके पुत्र मोहम्मद खान, असगर खान, शांहजहॉ बेगम व फातिमा के अलावा एक पुत्र रहमत खॉ भी होना बताया है। इस गवाह से साक्ष्य में पूछे जाने पर पुत्र पुत्रियों के नाम भी बताए है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दी गयी साक्ष्य अनुसार अकबर खान के वाद वर्णित पक्षकारों के अलावा दो पुत्रियां व एक अन्य पुत्र असगर खान व मोहम्मद खॉ व पुत्रियां शांहजहॉ बेगम व फातिमा होना बताया है, अपनी साक्ष्य में वादी रहमत खॉ को अकबर खॉ का पुत्र नहीं होना कहा है। प्रतिवादी द्वारा मुख्य परीक्षा में पुत्रीयों के संबंध में दी गयी उपर्युक्त साक्ष्य की पुष्टि वादी गवाहान भी उनसे की गयी प्रतिपरीक्षा में करते है, जिसमें वह अकबर खॉ के दो पुत्रियां फातिमा व शाहजहॉ बैगम व पुत्र असगर खॉ व मोहम्मद खॉ होना कहते है साथ ही वादी गवाहान अकबर खान का पुत्र रहमत खान होना भी अपनी साक्ष्य में बताते है। पत्रावली पर आयी उपर्युक्त साक्ष्य के संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को देखे तो वादी द्वारा अपने वाद पत्र में रहमत खॉ जो कि स्वयं वादी है को अकबर खॉ का पुत्र होना बताया है। इस संबंध में वादी की ओर से पत्रावली पर जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है, उसमें वोटर लिस्ट प्रदर्श–16 व प्रदर्श–17 प्रदर्शित करवायी है जिसमें प्रदर्श–16 के क्रम संख्या 880, 881, 882, व 883 में असगर खॉ, चांद, रहमत खॉ व जुबेश का नाम अंकित है। जिसमें क्रम संख्या 882 पर रहमत खॉ के पिता का नाम अकबर खॉ अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श पी'–17 में भी क्रम संख्या 1476 पर रहमत खॉ के पिता का नाम अकबर खॉ अंकित है। प्रदर्श–15 रहमत खॉ का मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड प्रदर्श–16, प्रदर्श–1 (प्रदर्श –35) हज यात्री पास, प्रदर्श–2 बैंक पासबुक, प्रदर्श–21, प्रदर्श–23, प्रदर्श–24 में भी रहमत खॉ के पिता का नाम अकबर खॉ होना अंकित है। उपर्युक्त समस्त दस्तावेज जो राजकीय विभागीय दस्तावेज है में वादी रहमत खॉ के पिता का नाम अकबर खॉ होना अंकित है। इसके अलवा वादी की ओर से विवाह पत्रिका प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 भी प्रदर्शित करवायी है जिसके संबंध में प्रतिवादी गवाह डी डब्ल्यू 1 उस्मान द्वारा यह स्वीकार किया है कि शादी का कार्ड उसने छपवाया था जिसमें असगर खॉ उसके पिता है। प्रदर्श–3 का अवलोकन करें तो प्रदर्श–3 में रहमत चाचा का नाम अंकित है जिसके संबंध में डी डब्ल्यू 1 उस्मान खान ने रहमत खॉ पिता अकबर खॉ हो तो उसे पता नहीं होना बताया है। इस गवाह ने जिरह में उक्त शादी का कार्ड उसके पुत्र की शादी का होना स्वीकार किया है जिसमें भी रहमत खॉ का नाम अंकित है। इसके अलवा वादी की ओर से अपनी साक्ष्य में गवाह से जिरह के दौरान फोटो प्रदर्श–35 लगायत प्रदर्श –43 प्रदर्शित करवाए है , साथ ही प्रदर्श–44 सीडी भी प्रस्तुत की है, जिसमें गवाह ने जिरह में फोटों में वर्णित

ANIL KUMAR GOYAL
Steno Gr. I "Authenticated Document" Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document." Date: 2026.03.30 12:30:18 +0530

अन्य व्यक्तियों को पहचाना है किन्तु केवल वादी रहमत खॉ को पहचानने से इंकार किया है।

14. पत्रावली पर आयी उपर्युक्त समस्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण के पश्चात् यदि हम देखे तो वादी द्वारा राजकीय विभागों के राजकीय दस्तावेज प्रस्तुत किए है । प्रतिवादी के पुत्र के विवाह की पत्रिका भी प्रस्तुत की है एवं विवाह के फोटो भी प्रस्तुत किए है जिन समस्त दस्तावेजों में भी वादी रहमत खॉ के पिता का नाम अकबर खॉ होना अंकित है। पी डब्ल्यू 1 से की गयी जिरह में उसने रहमत खॉ के पिता का नाम अकबर खॉ होना स्वीकार किया है और पी डब्ल्यू 2 शरीफ मोहम्मद से की गयी जिरह में उसने निम्न स्वीकारोक्ति की है कि

15. '' **यह कहना सही है कि अकबर खॉ जी के संतान मोहम्मद खान असगर खॉ, शांहजहॉ, रहमत खॉ व फातिमा थी।"** अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उक्त सुझाव से भी यह स्पष्ट है कि साक्ष्य के दौरान उनके द्वारा वादी गवाह से पूछे जाने पर वादी गवाह ने रहमत खॉ भी अकबर खां का पुत्र होना बताया था।

16. इस प्रकार पत्रावली पर आयी उपर्युक्त समस्त साक्ष्य के विस्तृत विवेचन, विश्लेषण के पश्चात् व दस्तावेजी साक्ष्य जो कि राशनकार्ड, बैंक पासबुक, राजकीय विभागों की प्रतियां, हज यात्री प्रमाण पत्र में भी रहमत खॉ के पिता का नाम अकबर खॉ अंकित है। अतः वादी रहमत खॉ, अकबर खॉ का पुत्र था यह हमारे समक्ष साबित होता है।

17. इस प्रकार पत्रावली पर आयी साक्ष्य से हमारे समक्ष यह साबित होता है कि अकबर खॉ जिसके तीन पुत्र मोहम्मद खान, अजगर खॉ व रहमत खॉ व दो पुत्रियां शांहजहॉ व फातिमा थी।

18. पत्रावली पर आयी उपर्युक्त साक्ष्य के अलावा यदि हम देखे तो वादी गवाह पी डब्ल्यू 2 शरीफ मोहम्मद ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि मोहम्मद खान अपने बच्चों सहित पाकिस्तान में रहता है, उनके बच्चे जिंदा है या नहीं पता नहीं। पी डब्ल्यू 3 मोहम्मद सिद्दिक ने भी जिरह में यह स्वीकार किया है कि रहमत खॉ का सबसे बडा बच्चा 64 साल का है। यह सही है कि अकबर खान जिसका एक बेटा पाकिस्तान में रहता है। डी डब्ल्यू 1 उस्मान खान ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि मोहम्मद खान जी बटवाडे के वक्त पाकिस्तान चले गए थे। यह सही है कि पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने इस मकान में निवास नहीं किया। यह भी स्वीकार किया है कि मोहम्मद खान जी व उसके वारिश पाकिस्तान के नागरिक है। डी डब्ल्यू 2 शहीद खॉ भी अपनी जिरह में मोहम्मद खान जी बटवाडे के समय पाकिस्तान चले जाना और वहीं के नागरिक हो गए यह स्वीकार किया है। उनके बेटे बेटी भी पाकिस्तान में पैदा हुए, उनकी शादियां भी पाकिस्तान में ही हुयी, उनकी मृत्यु कब हुयी पता नहीं। उन्होंने धोली बावडी में कभी निवास नहीं किया। इस प्रकार पत्रावली पर उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य और स्वीकारोक्ति से हमारे समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अकबर खॉ जी के एक पुत्र मोहम्मद खॉ थे जो बटवाडे के समय पाकिस्तान चले गए और वहीं की नागरिकता लेकर वहीं पर निवास करते थे, यह हमारे समक्ष साबित होता है।

19. पत्रावली पर आयी साक्ष्य से हमारे समक्ष यह साबित हुआ है कि अकबर खान जी के तीन

ANIL
KUMAR
GOYAL
Steno Gr. I
"Authenticated Document"
Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.03.30
12:30:24 +0530

पुत्र रहमत खॉ, असगर खॉ व मोहम्मद खॉ थे। मोहम्मद खॉ बटवाडे के समय पाकिस्तान चले गए और वहीं के नागरिक हो गए तथा अकबर खॉ की दो लडकियां शांहजहां व फातिमा थी। वादी द्वारा जिस सम्पत्ति का बटवाडा चाहा है उसके संबंध में प्रतिवादी का कहना है कि अकबर खान जी के दो लडकियां होने से उनका भी वाद वर्णित सम्पत्ति में हिस्सा है। इस संबंध में मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम पुरूष की मृत्यु के समय पुत्र व पुत्री होने की अवस्था में पुत्र व पुत्री अविशष्ट के रूप में दाय प्राप्त करेगें। पुत्र का भाग पुत्री के भाग का दुगना होता है। मृतक अकबर खॉ जी की मृत्यु के समय दो दो जीवित पुत्रियां भी थी, यह प्रकट होता है। जिसके संबंध में मुस्लिम विधि के अनुसार पुत्रियों का हिस्सा देखे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा भाईयों के हिस्से से आधा होगा अर्थात पुत्रीयों को एक हिस्सा प्राप्त होगा व पुत्र को पुत्री से दुगूना दो हिस्से प्राप्त होगें।

20. पत्रावली पर आयी साक्ष्य अनुसार अकबर खॉ जी की मृत्यु सन 1963 में होना गवाहों ने स्वीकार किया है। अकबर खॉ जी की मृत्यु के समय उनके सभी पुत्र व पुत्रीयां जीवीत थी यह हमारे समक्ष साबित होता है।

21. पत्रावली पर आयी उपर्युक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अकबर खान जी की मृत्यु के समय उनकी सम्पत्ति में विधि अनुसार दाय प्राप्त करने हेतु दो पुत्रियां भी थी और मुस्लिम विधि अनुसार उनकी सम्पत्ति में पुत्रीयों का हिस्सा पुत्र के हिस्से से दुगना होता है। इस प्रकार से पत्रावली पर आयी साक्ष्य से अकबर खॉ जी की मृत्यु के समय दो पुत्रियां शांहजहां व फातिमा के जीवित रहने से भी वाद वर्णित सम्पत्ति में हिस्सा होता है और वाद पत्र के अवलोकन से वादी द्वारा मृतक अकबर खान की दोनों पुत्रियों को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है, यह स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष स्पष्ट होता है।

22. वाद पत्र के अवलोकन से वादी ने अपने वाद पत्र में अकबर खॉ जी की मृत्यु के समय उनके दो पुत्र रहमत खॉ व असगर खॉ का हिस्सा होना बताया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में न तो अकबर खॉ के तीसरे पुत्र मोहम्मद खॉ का होना बताया और न ही अकबर खॉ की दोनों पुत्रियां शांहजहॉ व फातिमा का होना बताया। वाद पत्र में वादी उपर्युक्त महत्वपूर्ण तथ्यों का सक्रिय रूप से छिपाव करके आया है और न्यायालय के समक्ष यह दावा स्वच्छ हाथों से लेकर नहीं आया है।

23. पत्रावली पर साबित उपर्युक्त तथ्यों से हमारे समक्ष यह स्पष्ट होता है कि अकबर खान जी की पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया है जो कि वाद में आवश्यक पक्षकार है। उन्हें पक्षकार बनाने के संबंध में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे में ही उजर लिए जाने के बावजूद भी पक्षकार बनाने का कोई प्रयास नहीं किया और अकबर खॉ की दोनों ही पुत्रियों अथवा पुत्रियों के उत्तराधिकारियों के पक्षकार नहीं होने से वाद वर्णित सम्पत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का आदेश दिए जाने पर उसका सीधा प्रभाव अकबर खॉ जी की दोनों पुत्रियों / उनके विधिक वारिशान पर पडना अवश्यम्भावी है क्योंकि वह वाद में आवश्यक पक्षकार है और उनका भी उसमें हिस्सा है। अतः उपर्युक्त तनकी संख्या–2 बी प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

ANIL KUMAR GOYAL
Steno Gr. I "Authenticated Document" Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document." Date: 2026.03.30 12:30:33 +0530

तनकी संख्या–1

24. इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है कि क्या वाद वर्णित सम्पत्ति वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की होकर संलग्न नक्शे के अनुसार 1/2 हिस्से का बटवाडा करवाकर वादी 1/2 हिस्से का आधिपत्य व डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी है? इस संबंध में जैसा कि तनकी संख्या–2 बी के विवेचन में यह साबित हुआ है कि वादी रहमत खॉ अकबर खॉ जी का पुत्र था। इस संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी डब्ल्यू 1 मोहम्मद सलीम व पी डब्ल्यू 2 शरीफ मोहम्मद दोनोंही अपनी मुख्य परीक्षा में अकबर खॉ के दो पुत्र असगर खॉ व रहमत खॉ होना बताते हुए धोली बावडी स्थित अचल सम्पत्ति प्लाट नम्बर –17 उनके दोनों पुत्र के सहस्वामित्व व आधिपत्य का होना बताते हुए सुविधानुसार जायदाद के आधे आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया परन्तु उक्त सम्पत्ति का नाप व सीमांकन द्वारा विभाजन नहीं हुआ। दोनों ही गवाहान ने वादीगण के कब्जेशुदा हिस्से में प्रतिवादीगण द्वारा नींव खोदकर निर्माण कार्य करवाने की साक्ष्य देते हुए प्रतिवादीगण को इस प्रकार का कार्य करने का अधिकार नहीं होना बताते हुए सम्पत्ति का बटवाडा कर कब्जा दिलाए जाने का निवेदन किया। पी डब्ल्यू 1 द्वारा अपनी साक्ष्य के समक्ष में रहननामा प्रदर्श–5 लगायत प्रदर्श –8, बिल प्रदर्श –9, इकरारनामा प्रदर्श–10 लगायत प्रदर्श–13 व वादगस्त सम्पत्ति की रसीद प्रदर्श–14, नजरी नक्शा प्रदर्श–19 को प्रदर्शित करवाया। पी डब्ल्यू 1 ने जिरह में कहा है कि उसे यह जानकारी नहीं कि विभाजन के समय वादग्रस्त मकान की सरकार द्वारा नीलामी की गयी हो। प्रदर्श–19 में हरा हिस्सा असगर खॉ व पीला हिस्सा रहमत खॉ का होने से इंकार किया है। **यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श–19 में बताए गए बटवाडा अकबर खॉ की मृत्यु के बाद किया गया था। यह बटवाडा किस सन् में किया गया याद नहीं। बटवाडा 40 साल पहले कर लिया हो तो जानकारी नहीं।** अकबर खॉ का स्वर्गवास 1963 में हुआ था, रहमत खॉ का स्वर्गवास 2010 में हुआ था। **यह कहना गलत है कि प्रदर्श –19 में अलग अलग रंग से जो दर्शाया गया है, वह अकबर खॉ जी ने बटवाडा किया हो।** यह सही है कि प्रदर्श –19 में दर्शायी गयी सम्पत्ति अकबर खॉ जी की है। प्रदर्श–19 में तथाकथित पीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति उसकी है फिर कहा उसके पिता रहमत खॉ जी की थी। हरे रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति असगर खॉ जी की है। यह सही है कि वादग्रस्त सम्पत्ति का पुराना नम्बर 6/746 था, जिसका वर्तमान मकान नम्बर–17 है।

25. गवाह पी डब्ल्यू 2 जिरह में कहता है कि प्रदर्श –19 जो न्यायालय में पेश किया है उसे उसकी जानकारी है। प्रदर्श –19 के वाई स्थान वाले पीले रंग के भाग में कोई नहीं रहता है। दुकानें बनी होकर किराये पर दे रखी है। **यह सही है कि यह सम्पत्ति अकबर खॉ जी ने खरीदी थी। यह कहना सही है कि अकबर खॉ जी की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र असगर खॉ व रहमत खॉ ने उक्त सम्पत्ति को आपस में बटवाडा कर प्रदर्श –19 में अंकित एक्स भाग असगर खॉ व वाई भाग रहमत खॉ के स्वामित्व में रहा।** उसे ध्यान नहीं कि प्रदर्श –19 के पीले भाग पर वादी ने निर्माण कब करवाया। **यह कहना सही है कि प्रदर्श –19 में वर्णित पीले रंग की सम्पत्ति अकबर खॉ जी की मृत्यु**

ANIL KUMAR GOYAL
Steno Gr. I "Authenticated Document" Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document." Date: 2026.03.30 12:30:39 +0530

के पश्चात् असगर खॉ व रहमत खॉ के बीच हुए बटवाडे से ही वादीगण काबिज है। गवाह पी डब्ल्यू 3 मोहम्मद सिद्दिक भी मुख्य परीक्षा में पी डब्ल्यू 1 मोहम्मद सलीम व पी डब्ल्यू 2 शरीफ मोहम्मद के समान साक्ष्य देता है। जिरह में गवाह कहता है कि वादग्रस्त सम्पत्ति उनके दादाजी की सम्पत्ति थी, उसे जानकारी नहीं कि वादग्रस्त सम्पत्ति अकबर खॉ जी ने खरीदी हो।

26. गवाह डी डब्ल्यू 1 उस्मान खान अपनी मुख्य परीक्षा में कहता है कि अकबर खॉ की सभी संतानों को पक्षकार नहीं बनाया है। वादग्रस्त भूखण्ड संख्या –17 प्रतिवादीगण के स्वामित्व , अधिकार व कब्जे की है। पूर्व में बनी कोठियां क्षतिग्रस्त होने से उन्हें तोडकर नयी बनायी जा रही थी। प्रतिवादीगण ने अन्य कोई नया निर्माण नहीं किया। वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादीगण के पिता द्वारा राज्य सरकार द्वारा की गयी नीलामी में खरीदी थी। अकबर खॉ जी द्वारा जरिए विक्रय पत्र दिनांक 17.12.46 से क्रय किया था, जिस पर असगर खॉ जी का होल्ड मानते हुए केवल मात्र पूर्वी क्षेत्र का ही हिस्सा विक्रय किया था। इस कारण वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादीगण के स्वामित्व की है। वादीगण ने अपनी साक्ष्य में वादग्रस्त सम्पत्ति के दक्षिण की तरफ का हिस्सा उनके कब्जे में होना बताया है जिससे पारिवारिक सम्पत्ति विभाजित होना साबित होता है और उसी अनुसार कब्जा भी है। सम्पत्ति को पुनः विभाजित करा प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करना चाहते है।

27. जिरह में गवाह कहता है कि उसे ध्यान नहीं कि अकबर खॉ की मृत्यु के समय अजगर खॉ जी व रहमत खॉ जी जीवित थे। प्रदर्श –19 में हरे रंग वाला भाग अजगर खॉ जी के कब्जे में हो यह गलत है लेकिन बी, जी वाला लाल हिस्सा उनके कब्जे में है, बी,जी, डी, एफ वाला भाग भी उनके कब्जे में है। प्रदर्श –19 में जो पडौस दर्शाये है वह सही है। **यह सही है कि रहमत खॉ वाले हिस्से में नीवें खोदना चालू करवाया था इस कारण उन्होंने एफ आई आर करवायी थी अजखुद कहा कोठिया बनी थी जो जर्जर थी जिन्हें हटाकर छत डाली जो उनके पजेशन में है।** यह गलत है कि उन्होंने जबरन निर्माण करवाया हो। प्रदर्श –19 के ए जी ई एफ भाग पर सभी भाईयों का कब्जा है, उसे ध्यान नहीं कि प्रदर्श –19 के पीले भाग के वाई स्थान में रहमत खॉ जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों का कब्जा हो। प्रदर्श –19 के पीले रंग की दुकानों पर सलीम ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। यह गलत है कि अकबर खॉ जी ने उनके जीते जी मकान नम्बर –17 के दो टुकडे किए हो जिसमें से एक टुकडा रहमत खॉ व दूसरा अजगर खॉ जी को दिया हो। **उसकी जानकारी में नहीं है कि अकबर खॉ जी की मृत्यु के पश्चात् 17 धोली बावडी वाले भूखण्ड का आधा हिस्सा रहमत खॉ जी के नाम नगर परिषद में अंकित हो गया हो।** यह कहना गलत है कि रहमत खॉ ने उसके आधे हिस्से पर सन् 1974 में परमिशन लेकर निर्माण करवाया हो व उसका पत्र प्रदर्श –20, अनुमति पत्र प्रदर्श –21 , प्रदर्श –22 लगायत प्रदर्श–24 के बारे में जानकारी नहीं। उसके पिताजी ने धोली बावडी वाली सम्पत्ति के आधे हिस्से पर निर्माणं बाबत् नगर परिषद से अनुमति ली हो तो जानकारी नहीं। प्रदर्श–26 लगायत प्रदर्श –34 दस्तावेज उसके पिता व दादजी के नाम पर हो तो जानकारी नहीं होना बताया। यह कहना गलत है कि शाहजहॉ व फातिमा का धोली बावडी वाली सम्पत्ति से कोई लेना

ANIL KUMAR GOYAL
Steno Gr. I "Authenticated Document" Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document." Date: 2026.03.30 12:30:47 +0530

देना नहीं हो। प्रदर्श –19 वाली सम्पत्ति अकबर खॉ जी ने किससे खरीदी उसे ध्यान नहीं। खरीदने संबंधी दस्तावेज प्रदर्श ए'–1 ए है जो न्यायालय में पेश किए है। उक्त दस्तावेज का हिन्दी अनुवाद भी उसने पेश किया है। उसे जानकारी नहीं है कि उसकी दादी का इंतकाल 1987 में हुआ हो। यह सही है कि उसकी दादीजी की मृत्यु के बाद दादी प्रदर्श –19 में लाल वर्णित कोठडी में रहती थी। उसे नहीं पता कि उसके दादाजी ने अली मोहम्मद को सम्पत्ति बेची, उसकी रजिस्ट्री प्रदर्श ए–1 ए हो। यह कहना गलत है कि 17 धोली बावडी वाली सम्पत्ति का रहमत खॉ जी व असगर खॉ जी के मध्य बटवाडा हुआ हो। यह कहना गलत है कि जो मौखिक बटवाडा हुआ उसके अनुसार प्रदर्श –19 में बी जी डी एफ भाग रहमत खॉ जी के व ए बी सी डी वाला हरा भाग अजगर खॉ जी के आया हो। यह कहना गलत है कि उसके पास इस भूखण्ड के स्वामित्व बाबत् दस्तावेज नहीं हो अजखुद कहा कि उसके पिताजी के नाम के दस्तावेज पत्रावली पर पेश किए है। विवादित सम्पत्ति उसके पिताजी अली मोहम्मद वल्द निजामत खॉ से खरीदी थी।

28. गवाह डी डब्ल्यू 2 सईद खॉ अपनी मुख्य परीक्षा में डी डब्ल्यू 1 उस्मान खॉ के समान साक्ष्य देता है। जिरह में कथन करता है कि यह गलत है कि अपने जीवनकाल में 17 धोली बावडी वाला भूखण्ड दो भागों में विभक्त था, जिसमें से एक भाग अजगर खॉ व एक भाग रहमत खॉ को सुपुर्द कर दिया हो। उसे पता नहीं कि 1974 में रहमत खॉ जी ने नगर परिषद से स्वीकृति लेकर प्रदर्श –19 के पीले रंग वाली सम्पत्ति पर निर्माण कार्य करवाया था। उसे पता नहीं कि प्रदर्श –19 के हरे भाग में अजगर खॉ ने सन् 1971 में नगर परिषद से अनुमति लेकर निर्माण कार्य करवाया हो।

29. पत्रावली पर आयी उपर्युक्त समस्त साक्ष्य के विश्लेषण के पश्चात् यदि हम देखे तो प्रकरण में प्रार्थी वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अकबर खॉ जी के दो पुत्र रहमत खॉ व असगर खॉ ही होना बताया है जबकि पत्रावली पर आयी साक्ष्य से रहमत खॉ जी के अलावा अन्य दो पुत्रीयां व एक पुत्र होना भी रिकार्ड पर साबित हुआ है। वादी गवाह पी डब्ल्यू 1 मोहम्मद सलीम व पी डब्ल्यू 2 शरीफ मोहम्मद ने अपनी साक्ष्य में जिरह के दौरान इन तथ्यों को स्वीकार किया है। जैसा कि तनकी संख्या–2 बी के विवेचन में भी यह साबित हुआ है कि रहमत खॉ जी के अन्य भाई–बहन भी थे जबकि वादी द्वारा न केवल अपने वाद पत्र में इन तथ्यों को छिपाया है वरन् तथ्यों को छिपाकर वाद प्रस्तुत करने से न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है।

30. प्रकरण में वादी की सम्पत्ति का बटवाडा उसके व प्रतिवादीगण के मध्य आधा आधा होना बताकर आया है। उस सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए–1 ए के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह तर्क दिया कि उक्त सम्पत्ति अकबर खॉ जी द्वारा क्रय की गयी थी और अकबर खॉ जी के पुत्र का नाम असगर खॉ व मोहम्मद खॉ अंकित है, रहमत खॉ उनका पुत्र होता तो उसका नाम अंकित होता । जैसा कि तनकी संख्या–2 बी के विवेचन में यह तय हो चुका है कि वादी रहमत खॉ अकबर खॉ का पुत्र था। अतः उपर्युक्त तर्क का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रतिवादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श ए–1 ए का अवलोकन करें तो उपर्युक्त दस्तावेज दिनांक 18.12.1946 को निष्पादित हुआ था जिसमें अकबर खॉ जी वादी रहमत खॉ के पिता व

ANIL KUMAR GOYAL
Steno Gr. I "Authenticated Document" Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document." Date: 2026.03.30 12:30:54 +0530

प्रतिवादीगण के दादा थे के द्वारा धोली बावडी स्थित सम्पत्ति अली मोहम्मद से क्रय किए जाने का तथ्य प्रकट होता है।

31. वादी के द्वारा दौराने साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श –20 लगायत 24 प्रस्तुत किए है जिनका अवलोकन करें तो उपर्युक्त दस्तावेज में अकबर खॉ जी का स्वर्गवास होने और उनके स्थान पर रहमत खॉ जी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.11.1973 की स्वीकृति अनुसार कार्य करने की स्वीकृति जारी किया जाना प्रकट होता है। वादी की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–25 के अवलोकन से मकान संख्या –359 धोली बावडी का अकबर खान जी द्वारा निर्माण कार्य करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र है। दस्तावेज प्रदर्श –26 दिनांक 29.01.1971 को अकबर खॉ जी को पूर्व में स्वीकृति अनुसार निर्माण करने की अनुमति दिया जाना प्रकट होता है। पत्रावली पर आयी साक्ष्य से धोली बावडी स्थित उपर्युक्त वाद वर्णित सम्पत्ति के नये नम्बर 17 होना भी प्रकट हुआ हैं । अतः वाद वर्णित सम्पत्ति अकबर खान जी की होना हमारे समक्ष प्रकट होता है।

32. प्रकरण में वादी द्वारा वाद वर्णित सम्पत्ति का पूर्व में बटवाडा नहीं होना भी अभिवचन लिया है एवं वादी की ओर से प्रस्तुत गवाहान ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी यही कहा है कि वाद वर्णित सम्पत्ति का पूर्व में बटवाडा नहीं हुआ और पक्षकार सुविधा अनुसार कब्जे में है। इस संबंध में वादी गवाह पी डब्ल्यू 1 मोहम्मद सलीम द्वारा अपनी जिरह में हरा वाला भाग अजगर खॉ जी का व पीला वाला भाग रहमत खॉ जी का होना स्वीकार करते हुए बटवाडा अकबर खॉ जी की मृत्यु के पश्चात् किया जाना स्वीकार किया है। पी डब्ल्यू 2 शरीफ मोहम्मद ने भी अकबर खॉ जी की मृत्यु के बाद रहमत खॉ व अजगर खॉ ने प्रदर्श –19 में वर्णित सम्पत्ति का आपस में बटवाडा करना और उनके स्वामित्व में होना स्वीकार किया है। इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह पी डब्ल्यू 1 मोहम्मद सलीम व पी डब्ल्यू 2 शरीफ मोहम्मद द्वारा जिरह में की गयी स्वीकारोक्तियों से वादी जिस सम्पत्ति का बटवाडा करने का वाद लेकर आना बताता है वह पूर्व में ही अकबर खॉ जी की मृत्यु के पश्चात् रहमत खॉ व असगर खॉ के मध्य बटवाडा होना जाना वादी गवाहों ने स्वीकार किया है। इस कारण भी हमारे समक्ष यह प्रकट होता है कि वादी पूर्व में बटवाडा हो जाने का तथ्य छिपाकर यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है और स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है।

33. इस प्रकार उपर्युक्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से हमारे समक्ष तनकी संख्या–2 बी में वर्णित अनुसार यह साबित हुआ है कि अकबर खॉ जी की मृत्यु के पश्चात् उनके वादी रहमत खॉ व प्रतिवादीगण के अलावा अन्य पुत्र पुत्रियां भी थी और पुत्रियों का भी वाद वर्णित सम्पत्तियों में अधिकार है। वादी उपर्युक्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष छिपाकर आया। पूर्व में बटवाडा होने का तथ्य भी अभिवचन में प्रकट नहीं किया। इस कारण उपर्युक्त तनकी संख्या–1 उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण से वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

ANIL KUMAR GOYAL
Steno Gr. I "Authenticated Document"
Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.03.30 12:31:05 +0530

तनकी संख्या–2

34. इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। जैसा कि तनकी संख्या–1 व तनकी संख्या–2 बी में विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है और वाद वर्णित सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादीगण के अलावा भी अन्य आवश्यक पक्षकार है जिनका भी वाद वर्णित सम्पत्ति में हिस्सा बनता है। इस कारण तनकी संख्या–1 व तनकी संख्या–2 बी में किए गए विवेचन व विश्लेषण के अनुसार तनकी संख्या–2 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या–2 ए

35. इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि वादी द्वारा वाद अपूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर आयी साक्ष्य से वादी ने स्वयं का वाद वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा होना बताते हुए उसमें उसका 1/2 हिस्सा वादीगण का होना बताते हुए वाद लेकर आया है और वाद पत्र की चरण संख्या –12 में वर्णितानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र नियमानुसार न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। इस कारण उपर्युक्त तनकी संख्या–2 ए प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

अनुतोष

36. चूंकि तनकी संख्या–1 व तनकी संख्या–2 बी वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय हुई है। इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् विभाजन अचल सम्पत्ति एवं शाश्वत व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादीगण सव्यय अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

37. अतः वादी रहमत खॉ वगैरहा द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् विभाजन अचल सम्पत्ति एवं शाश्वत व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादीगण मुजफ्फर खॉ सव्यय अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मनीष कुमार वैष्णव)
अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1,
उदयपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

ANIL KUMAR GOYAL

Steno Gr. I "Authenticated Document"
Digitally signed by ANIL KUMAR GOYAL
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.03.30 12:31:11 +0530

(मनीष कुमार वैष्णव)
अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1,
उदयपुर (राज.)